न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टी.ए. / 2005 / 3598 / भरतपुर.

बृजेन्द्र सिंह पुत्र पदम सिंह जाति लोधा निवासी रणधीरपुरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1— केवल पुत्र नारान
2— तुल्ली पुत्र भूदर
3— जगदीश पुत्र रामकिशोर
समस्त जाति लोधा निवासी ग्राम रणधीरपुरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्ड—पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

———

उपस्थिति:
श्री राकेश अरोड़ा, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री वैभव कृष्ण पारीक, विद्वान अधिवक्ता (ब्रीफ होल्डर) प्रत्यर्थीगण।

———

निर्णय

दिनांक: 21 / 08 / 2025.

1— हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 216 / 2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12—7—2005 के विरूद्ध पेश की गई है।

2— अपील ज्ञापन के अनुसार हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी / वादी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर जिला भरतपुर के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 132 मिन रकबा 3.02 व 132 रकबा 3.02 जिसके हाल खसरा नंबर 184 रकबा 0.60 तथा 187 रकबा 0.43 वाके ग्राम रणधीरपुरा तहसील कुम्हेर में वादी व प्रतिवादी सं0 1 केवल बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हिस्सा खसरा नंबर 132 रकबा 3.02 बीघा आराजी को प्रतिवादी

सं0 2 तुल्ली को विक्रय कर दिया, जिस पर तुल्ली काबिज था। वादी के नम्बर की अलग अलग मेड डोल बनी है तथा प्रतिवादी की अलग डोल बनी है। बंदोबस्त विभाग ने गत खसरा नंबर 132 मिन से हाल खसरा नंबर 187 रकबा 0.43 वादी की खातेदारी में अंकन किया तथा गत खसरा नंबर 132 मिन से हाल खसरा सं. 184 रकबा 0.60 हैक्टेयर बनाकर प्रतिवादी केवल के नाम दर्ज किया, जबकि इस 60 एयर में वादी का 8 एयर रकबा वेसी करके प्रतिवादी के नाम अंकन किया जो कानून के खिलाफ है, जिसे वादी दुरूस्त कराकर अपने नाम खातेदारी में अंकन करवाने का अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी वादी एवं वादीगण के भाईयों की सम्मिलित खातेदारी की आराजी थी। वादी एवं वादी के भाईयों में आपस में बंटवारे का दावा होकर विवादग्रस्त आराजी वादी के हिस्से व कब्जे में जरिये इन्तकाल नं. 26 से आई, तभी से वादी अकेला खातेदार काश्तकार काबिज है। बंदोबस्त विभाग को बिना किसी सक्षम आज्ञा के परिवर्तन करने के अधिकार नहीं है। बंदोबस्त विभाग ने कानून के खिलाफ जाकर वादी के गत खसरा संख्या 132 मिने से बने हाल नं0 187 रकबा 043 में 8 एयर रकबा कम देकर व हाल खसरा संख्या 184 रकबा 0.60 में बढ़ाकर देने में कानूनन गलती की है, जबकि वादी का गत 3 बीघा 2 बिस्वा के हाल में 50 एयर रकबा आना था, जिसमें 8 एयर रकबा कम आया है, जिसे वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 2 ने दिनांक 07–6–2001 को प्रतिवादी सं0–3 को इस भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान कर दिया। प्रतिवादी सं0 3 के द्वारा वादी को धमकी देने पर उसे पता चला कि बंदोबस्त विभाग ने गलत इंद्राज कर दिये हैं। अगर प्रतिवादी ने वादी की मेड तोड़ दी तो वादी को असीम क्षति होगी। अतः वादी को गत खसरा नंबर 132 से बने हाल खसरा नंबर 184 रकबा 60 एयर में से 8/60 एयर का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा प्रतिवादी का नाम इस रकबे से कलमजन कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का अनुतोष चाहा।

विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 06–7–2001 को राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने दिनांक 22–10–2002 को अपना जवाबदावा पेशकर कथन किया कि प्रतिवादी सं0 1 भूमि का खातेदार काश्तकार था जिसने भूमि प्रतिवादी सं0 2 को दिनांक 03–4–2000 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा विक्रय कर दी और प्रतिवादी सं0 2 ने प्रतिवादी सं0 3 को दिनांक 03–6–2001 को विक्रय कर दी, जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल हो

चुका है। उक्त भू भाग से वादी का कोई सम्बन्ध नहीं है। वादी के आपसी बंटवारे से प्रतिवादी बाधित नहीं है। वादी ने उन्हें पक्षकार भी नहीं बनाया है। भू–प्रबन्ध विभाग ने मौके एवं कानून के अनुसार सही इन्द्राजात किये हैं। अतएव वादी का वादपत्र खारिज किया जाये।

विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु अनुतोष सहित कुल छः विवाद्यक विरचित किये गये, जिन पर वादी एवं प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य ली जाकर योग्य विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–8–2004 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर वादी अपीलार्थी ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–7–2005 द्वारा अपीलार्थी वादी की अपील को अस्वीकार कर खारिज कर दिया।

यह कि उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व डिक्रीयों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील–मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी/वादी एवं प्रत्यर्थी/प्रतिवादी सं0–1 पुराने खसरा नबर 132 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा के आधे आधे हिस्से के खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज थे। बंदोबस्त के दौराने नये खसरा नंबर 184 रकबा 60 एयर एवं खसरा नंबर 187 रकबा 43 एयर बनाये गये थे। प्रत्यर्थी सं0–1 को खसरा नंबर 184 का खातेदार दर्ज किया गया, जबकि अपीलार्थी को नये खसरा नंबर 187 का खातेदार बनाया गया। बंदोबस्त विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से इसमें अवैधानिकता की गई है क्योंकि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं0 1 प्रत्येक को 52–52 एयर का खातेदार दर्ज करना चाहिए। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं0–1 इस बात से सहमत हैं कि खसरा नंबर 184 में से 8 एयर जमीन कम करते हुए उक्त भूमि खसरा नबर 187 में जोड़ दी जाये। अधीनस्थ न्यायालयों ने न तो दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ उपरोक्त राजीनामा पर विचार किया एवं न ही इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिया कि जब प्रतिवादी सं0 1 केवल 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि के खातेदार थे तो उसे 60 एयर भूमि का खातेदार किस आधार पर दर्ज किया गया। गवाह डी.डब्ल्यू–1 जगदीश की साक्ष्य को पूरी तरह से नजरंदाज किया गया है तथा विवादित भूमि 52 एयर के सम्बंध में अपीलार्थी के कब्जे के बारे में

अनभिज्ञता व्यक्त की गई है। डी.डब्ल्यू–2 व 3 की साक्ष्य को भी नज़रंदाज किया गया है। प्रतिवादी सं0–3 ने यह बयान दिया है कि प्रतिवादी सं0–1 ने 8 एयर भूमि को उन्होंने अपनी भूमि समझकर बेच दिया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि बंदोबस्त प्राधिकारियों को केवल राजस्व रिकार्ड में अंकित पूर्व प्रविष्टियों को दोहराना होता है, उन्हें राजस्व अभिलेख में परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि से परे जाकर आक्षेपित निर्णय पारित किये है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाकर अपीलार्थी वादी का वाद डिक्री किया जाये।

4– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने विवादित आराजी को बएवज कीमत देकर क्रय की है। वादी द्वारा उक्त विक्रय पत्रों को किसी भी सक्षम न्यायालय में चैलेन्ज नहीं किया है। विक्रय पत्र जब प्रभावी है तो ऐसी सूरत वादी कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता। विक्रय पत्र के आधार पर ही प्रतिवादी के नाम नामांतरकरण स्वीकार किया गया है। नामांतरकरण कब्जे के आधार पर ही खोला गया है। राजीनामा सिर्फ प्रतिवादी सं0–1 केवल ने पेश किया है, जो तस्दीक नहीं हुआ है। विचारण न्यायालय ने तनकी सं0–1 में विस्तृत रूप से विवेचन करते हुए यह स्पष्ट अंकित किया है कि केवल द्वारा किये गये बयनामा को मंसूख करने हेतु सिविल न्यायालय में जो दावा पेश किया, वह न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) भरतपुर से दिनांक 15–11–2003 को खारिज किया गया है तथा इस तनकी के अन्त में यह भी अंकित किया है कि खसरा नंबर 184/0.60 पर प्रतिवादी सं03 का खातेदार काश्तकार होना प्रमाणित है व इसके किसी भाग पर वादी का खातेदार काश्तकार होना प्रमाणित नहीं है। विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने करते हुए प्रथम अपील को सारहीन बताया है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निणर्य समान निष्कर्षों पर आधारित होकर समवर्ती निर्णय है। ऐसी स्थिति में उक्त समवर्ती निर्णयों में ऐसी कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होने से इसे अस्वीकार कर खारिज किया जाये।

5– उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु हमारे समक्ष निम्न अवधार्य बिन्दु विचारणीय हैः–

''आया योग्य विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर द्वारा निर्णय दिनांक 12–08–2004 से अपीलार्थी वादी का वाद खारिज करने में एवं योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 12–07–2005 से विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय की पुष्टि करने में विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की गई है?''

6– उक्त विचारणीय बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वादी द्वारा विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीगण अंतर्गत धारा–88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद मुख्यतः बंदोबस्त विभाग द्वारा खसरा संख्या साबिक 132 मिन रकबा 3.02 से बने हाल नं. 184 रकबा 60 एयर में से 08 एयर भूमि कम इन्द्राज कर इसे प्रतिवादी संख्या–1 के खाते में गलत तरीके से दर्ज करने के कारण पुनः अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने बाबत् पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या–2 व 3 ने अपना जवाबदावा पेश कर वादी के कथनों को नकाराते हुए वादपत्र खारिज करने की प्रार्थना की गई। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु अनुतोष सहित कुल 06 विवाद्यक विरचित किये गये, जिन पर वादी की ओर से प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–8 दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये गये एवं मौखिक साक्ष्य में पी.ड. 1 स्वयं वादी बृजेन्द्र सिंह व पी.ड. 2 हरिसिंह की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई, वहीं प्रतिवादी पक्ष की ओर से भी दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श डी–1 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक के निर्णय दिनांक 06–09–2001 की प्रति व प्रदर्श डी–2 उक्त वादपत्र की प्रति इत्यादि दस्तावेजात पेश किये गये व मौखिक साक्ष्य में डी.ड.1 जगदीश, डी.ड. 2 शिवराम व डी.ड. 3 गोविन्द की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई। तत्श्चात् विचारण न्यायालय ने उभय पक्षों की अंतिम बहस सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवाद्यक वार विवेचना करते हुए निर्णय दिनांक 12–08–2004 से वादी का वाद खारिज कर दिया।

7– विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 12–08–2004 एवं उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि खेवट खतौनी संवत् 1994 के अनुसार खाता सं. 27 खसरा संख्या 132 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा रामकिशोर वल्द नारायण वगैरह के नाम दर्ज है। प्रदर्श पी–1 जमाबंदी संवत् 2034–37 के अनुसार खसरा संख्या 132 मिन रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा सहित अन्य भूमियां कुल किता 4 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा केवल पुत्र नारायण कौम लोधा के नाम दर्ज होना प्रकट होता है एवं प्रदर्श पी–2 व पी–3 जमाबंदी संवत्

2034–37 के अनुसार खसरा संख्या 132 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा सहित अन्य खसरान कुल किता 13 रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा चम्पालाल, हरीसिंह, श्यामलाल, खेमसिंह, बृजेन्द्रसिंह, दरोगासिंह, पि0 पदम कौम लोधा बहिस्सा बराबर दर्ज है। प्रदर्श पी–4 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा संख्या 132 मिन से नया खसरा नंबर 184 क्षेत्रफल 0.60 बना एवं इसी प्रकार साबिक खसरा संख्या 132 क्षेत्रफल 3 बीघा 2 बिस्वा से नया नंबर 183 रकबा 0.02 बना एवं खसरा संख्या 132 मिन रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा से नया खसरा संख्या 187 क्षेत्रफल 0.43 बना है। प्रदर्श पी–5 जमाबंदी संवत् 2051–54 के अनुसार खसरा संख्या 184 रकबा 0.60 प्रतिवादी संख्या–1 केवल के नाम एवं प्रदर्श पी–6 जमाबंदी संवत् 2055–58 के अनुसार खसरा संख्या 187 रकबा 0.43, 146 रकबा 0.40 व 207 रकबा 0.27 अपीलार्थी वादी विजेन्द्र सिंह पुत्र पदमसिंह के नाम दर्ज है। उपरोक्त अभिलेखों से प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि खसरा संख्या 132 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा व 132 मिन रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा के नये नंबर 184 व 187 बने, जिनमें खसरा संख्या 184 क्षेत्रफल 0.60 प्रत्यर्थी केवल के नाम दर्ज हुआ, किन्तु एक समान रकबा होने के बावजूद वादी अपीलार्थी बृजेन्द्रसिंह के खाते में नये खसरा संख्या 187 का रकबा 0.43 ही दर्ज हुआ। अपीलार्थी वादी द्वारा बंदोबस्त विभाग की उक्त गलती के कारण उसके खाते में कम दर्ज किये गये 8 एयर रकबे की खातेदारी हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद विचारण न्यायालय में पेश किया गया, किन्तु आक्षेपित निर्णय से यह स्पष्ट है कि योग्य विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में अपना कोई विवेचन अथवा निष्कर्ष पारित नहीं कर अपीलार्थी वादी का वाद मूलतः न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक संख्या–4 द्वारा पारित निर्णय 15–11–2003 के आलोक में खारिज किया गया।

8– हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 केवल विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार था, जिसने विवादित भूमि को प्रत्यर्थी संख्या–2 तुल्ली को जरिये बयनामा दिनांक 03–04–2000 से बेचान कर दी गई एवं इसके पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या–2 तुल्ली ने प्रत्यर्थी संख्या–3 जगदीश को विवादित भूमि जरिये बयनामा दिनांक 07–06–2001 बेचान कर दी गई। प्रदर्श डी–2 नकल वादपत्र के अनुसार प्रत्यर्थी प्रतिवादी संख्या–1 केवल ने उक्त विक्रय पत्रों को दिखावटी एवं बनावटी होना अभिकथित करते हुए इनके निरस्तीकरण हेतु वादपत्र न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फास्ट

ट्रेक संख्या–4 के समक्ष पेश किया, जिसे उक्त न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15–11–2003 से वादपत्र खारिज करते हुए उक्त विक्रय पत्रों को वैध माना है। स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी केवल ने तथाकथित बयनामे को धोखे से बिना कोई प्रतिफल दिये कराने से इन्हें अवैध व शून्य घोषित करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया, जो वाद स्पष्टतः सिविल प्रकृति का होकर उक्त विक्रय पत्रों के निरस्तीकरण से संबंधित था, ना कि विवादित भूमि की खातेदारी घोषणा से। जबकि हस्तगत मूल वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विवादित भूमि की खातेदारी घोषणा से संबंधित है, जिसमें पक्षकारान के मध्य बंदोबस्त के दौरान कम हुए विवादित रकबे की खातेदारी घोषणा का वाद विचारणीय है। चूंकि जर खरीद से प्रत्यर्थी संख्या–3 विवादित भूमि का काश्तकार है तथा अपीलार्थी वादी ने मूल वाद में तीनों ही प्रत्यर्थी प्रतिवादीगण को पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी संख्या–1 ने वादी के साथ राजीनामा दिनांक 06–07–2001 कर लिया, किन्तु राजीनामा विचारण न्यायालय के समक्ष तस्दीक नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी वादी ने अपने वादपत्र के अभिवचनों के संबंध में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये, किन्तु योग्य विचारण न्यायालय ने उक्त साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय में कोई विवेचन एवं निष्कर्ष अंकित नहीं कर न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–11–2003 के प्रकाश में विवादित भूमि खसरा संख्या 184 रकबा 60 एयर पर अपीलार्थी वादी का कब्जा नहीं होना एवं क्रेता प्रतिवादी संख्या–3 को खातेदार काश्तकार होना प्रमाणित माना है। जबकि अपीलार्थी वादी ने अपने वादपत्र में दोनों बयनामों को शून्य व अवैध घोषित करवाने का कोई अनुतोष नहीं चाहा है एवं ना ही वादी व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त बयनामों के बाबत् कोई विवाद है, अपितु पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–88, 89 व 188 का मूल वाद होने से इसका क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को नजरअंदाज कर इनके संबंध में कोई विवेचन एवं निष्कर्ष अंकित किये बिना ही, केवल मात्र सिविल न्यायालय द्वारा उक्त विक्रय पत्रों को वैध मानने एवं इस आधार पर विवादित भूमि पर अपीलार्थी वादी का कब्जा न होने की उपधारणा करते हुए अपीलार्थी वादी का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है, जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विक्रय पत्रों के संबंध में कोई विवाद ही नहीं है एवं ना ही अपीलार्थी वादी ने अपने वादपत्र में तथाकथित बयनामो को अवैध एवं शून्य

दस्तावेज अभिकथित किया है। विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में यह तो माना है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा यदि इस प्रकार गलत इन्द्राज कर दिये गये है तो वादी उन्हें दुरूस्त करा सकता था। वादी ने कब्जा वापसी की प्रार्थना नहीं की है इसलिये वह कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किये गये, जिनके संबंध में आक्षेपित निर्णय में ना तो कोई विवेचन किया गया एवं ना ही अपना कोई निष्कर्ष दिया गया, जिससे यह कतई स्पष्ट नहीं होता है कि संवत् 2012 से लेकर वाद दायरी तक विवादित साबिक खसरा संख्या 132 के संबंध में क्या स्थितियां रही एवं बंदोबस्त के दौरान साबिक खसरा संख्या 132 का अलग–अलग क्षैत्रफल किस आधार पर दर्ज हुआ एवं यह भी दर्शित नहीं होता है कि अपीलार्थी वादी विवादित रकबा 08 एयर प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं। हमारे विनम्र मत में उक्त समस्त बिन्दु प्रकरण के निस्तारण हेतु काफी महत्वपूर्ण है, जिन पर योग्य विचारण न्यायालय द्वारा कोई परीक्षण अथवा जांच नहीं की गई, केवल मात्र वादी का कब्जा नहीं होने तथा सिविल न्यायालय द्वारा तथाकथित बयनामों के वैध होने संबंधी निष्कर्ष निकालते हुए अपीलार्थी वादी का वाद खारिज कर दिया, जो निश्चित रूप से अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अभिवचनों एवं प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आलोक में पारित निर्णय नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए अपीलार्थी वादी की प्रथम अपील को खारिज कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि करने में विधिक त्रुटि कारित की है, जबकि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय से यह अपेक्षित था कि वह उक्त तथ्यों के संबंध में पुनः जांच हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते। ऐसी स्थिति में हस्तगत द्वितीय अपील आंशिक स्वीकार कर मामला पुनः कतिपय निर्देशो के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

आदेश

9– परिणामतः हस्तगत अपील अंतर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आंशिक स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–08–2004 एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–07–2005 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण पुनः योग्य

विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर को प्रति प्रेषित किया जाकर इस निर्णय के पैरा संख्या–8 में किये गये विश्लेषण के दृष्टिगत पुनः उभय पक्षों को सुनकर विधिनुसार निर्णय पारित करें।

उभय पक्षों को जरिये अधिवक्ता हिदायत दी जाती है कि वे अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23/09/2025 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के समक्ष पेश हो। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष